पूरक पत्रक · स्लाइडों के साथ पढ़ने के लिए

मशीन वाली गिनती: ज़िला परिषद और पंचायत समिति

सावधान: यह राज्य निर्वाचन आयोग का दस्तावेज़ नहीं है; न आयोग ने इसे बनाया या जारी किया है, न यह सरकारी तौर पर तैयार हुआ है। यह सिर्फ़ पूरक प्रशिक्षण सामग्री है। अंतिम और मान्य स्रोत आयोग के मूल आदेश और नियम ही हैं; इसमें उनसे कुछ अलग दिखे, तो आदेश और नियम ही मानिए।

यह डेक कैसे पढ़ें

- हर बात के आगे मार्गदर्शिका, पुस्तिका या आयोग के आदेश का पन्ना लिखा है। जहाँ स्रोतों में किसी बात पर अलग-अलग बात छपी है, वहाँ यहाँ एक ही नियम लिखा है; स्रोतों में क्या फ़र्क है, यह प्रशिक्षकों के लिए साइट के 'स्रोतों में फ़र्क' पेज पर है।
- डेक की PDF में संदर्भ पर क्लिक करें, तो वह आदेश या पुस्तक उसी पेज पर खुलती है। जिस आदेश की प्रति ऑनलाइन नहीं रखी है, उसका लिंक नहीं है।
- अंतिम बात आयोग के आदेशों और नियमों की है। कोई संशय हो, तो अपने रिटर्निंग अधिकारी से पूछिए।

स्लाइड के साथ पूरक बातें

स्लाइड 1: मशीन वाली गिनती: ज़िला परिषद और पंचायत समिति

- यह प्रशिक्षण ज़्यादातर आयोग के पत्र 1299 (दिनांक 03.02.2026) पर टिका है, जो इन दोनों पदों की मशीन वाली गिनती के लिए जारी हुआ। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 288]
- हर बात के आगे आयोग के आदेश, मार्गदर्शिका या MPSV अनुदेश पुस्तिका का पन्ना लिखा है। जहाँ स्रोतों में किसी बात पर अलग-अलग बात छपी है, वहाँ यहाँ एक ही नियम लिखा है; स्रोतों में क्या फ़र्क है, यह प्रशिक्षकों के लिए साइट के 'स्रोतों में फ़र्क' पेज पर है।
- पंच और सरपंच की गिनती के लिए 'मतपेटी वाला दिन' पेज देखिए।

स्लाइड 2: गिनती की जगह और हॉल तैयार कीजिए

- लागू नियम: राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994। मशीन से गिनती अध्याय IV-क के नियम 49-डी में; नियम 58(5) के तहत यही प्रावधान, ज़रूरी बदलाव के साथ, ज़िला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव पर लागू। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 288]
- मशीनों की ढुलाई, सुरक्षित रखने और गिनती के नियम: 49-क, 51, 54, 55-क, 47-घ, 49-ग, 49-घ, 50-क, 52-क और 53-क। निर्वाचन अभिकर्ता और गणन अभिकर्ता की नियुक्ति के प्रावधान अध्याय-10 में। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 289]

स्लाइड 9: सिर्फ़ इन्हें अंदर आने दीजिए

- आदेश की इस सूची में कुछ और पद भी गिनाए गए हैं। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 292]

स्लाइड 10: अनुशासन और गोपनीयता रखिए

- आदेश में यहाँ "मतपत्र" शब्द ही छपा है। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 301]

स्लाइड 12: कंट्रोल यूनिट टेबल पर लगाइए

- एक टेबल पर कई मशीनें गिनना रिटर्निंग अधिकारी ठीक समझें, तभी। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 293]

स्लाइड 13: सीलें जाँचिए, पेपर सील के नंबर मिलाइए

- नंबर न मिलने का मतलब लेखे में भूल भी हो सकता है, या पहली नज़र में मशीन से छेड़छाड़ का शक। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 294]

स्लाइड 15: गड़बड़ वाली मशीन: आदेश क्या कहता है

- पैरा 23 के मुताबिक़ नियम 48-ख और 49-क में आयोग गिनती रोकने का, और ज़रूरत हो तो नया मतदान कराने का, आदेश दे सकता है। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 297]

स्लाइड 18: MPSV से रिज़ल्ट: पुस्तिका का अध्याय 6

- अगली दो स्लाइडों के कदम इसी पुस्तिका के अध्याय 6 से हैं। [MPSV अनुदेश पुस्तिका, पृ. 43]

स्लाइड 31: दोबारा गिनती: मशीन वाले वोट

- नियम 49 के उप नियम (6) और (7) मत-पत्रों की पुनर्गणना के हैं: (6) में उम्मीदवार लिखकर माँग सकता है, और रिटर्निंग अधिकारी कारण लिखकर मना कर सकते हैं या पुनर्गणना करा सकते हैं; (7) में रिटर्निंग अधिकारी अपने विवेक से भी। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 158]

स्लाइड 36: MPSV और MPMV: आदेश में सिर्फ़ मेमोरी मॉड्यूल की सील

- तीनों की बात 'गिनती के बाद MPSV पर क्या सील हो' वाली स्लाइड देखिए।

स्लाइड 43: स्रोत

- अंतिम बात आयोग के आदेशों और नियमों की है। कोई संशय हो, तो अपने रिटर्निंग अधिकारी से पूछिए।